

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 284132 पटना, दिनांक 09.09.2016

ग्रा0वि0- 8 (वि0स0)-19/2016

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
उप सचिव ।


सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम सन्वयक,
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम सन्वयक,
समस्तीपुर ।

विषय:- श्री विनय वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 सामु0- 03 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री विनय वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 सामु0- 03 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संबंधित उत्तर सामग्री यथाशीघ्र विभाग को लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव

श्री विनय वर्मा, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 सामु0- 03

1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पुसा प्रखंड के चन्दौली पंचायत के तालाब का जीर्णोद्धार कार्य 2015-16 में प्राक्कलन एवं मानक के अनुसार नहीं किया गया है तथा संवेदक द्वारा तालाब की मिट्टी नियमानुसार तालाब के किनारे न रखकर बेच दिया गया है यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिए दोषी संवेदक पर कार्रवाई करते हुए विपत्र का भुगतान रोकने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

श्री विभव वर्मा, NO.वि०३१० से प्राप्त अनारक्षित प्रश्न ।

सं०-सं०-५- कथा श्री, प्राचीन विज्ञान विभाग, यह बताया की भूटा करी कि- कथा यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पूसा प्रखंड के धन्वतीने मंत्रायन के ताजाब का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष २०१५-१६ में प्रारम्भ एवं नाग के अन्तर्गत नहीं किता गया है तथा सैनिक स्टारट ^{राष्ट्रीय} की लिस्टी नियमानुसार ताजाब के किगारे न रखकर बैच दिया गया है यदि हां तो क्या सरकार उक्त अन्यायिता के लिए दोषी सैक्टर पर कार्यवाई करते हुए विभाग का भुगतान रोकने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

1